भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5372
उत्तर देने की तारीख : 25.07.2019

## अल्पसंख्यकों हेतु योजनाएं

**5372. श्री पी॰के॰ कुनहालिकुट्टीः**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मुस्लिम बहुल जिलों में खोले गए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा विशेषकर मुस्लिम महिलाओं के कल्याण हेतु लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की मुस्लिम विद्यार्थियों हेतु मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्री**
**(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)**

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2018–19 से एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना (आईएसएसई) नामतः **समग्र शिक्षा** कार्यान्वित कर रहा है जिसके अधीन बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)** का विशेष प्रावधान है।

**कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)** वंचित समूहों जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के व्यक्तियों की बालिकाओं के लिए कक्षा VI से XII तक आवासीय स्कूल हैं। केजीबीवी स्थापित करने का उद्देश्य आवासीय स्कूल स्थापित करते हुए वंचित समूहों की बालिकाओं की गुणवत्तापरक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है और स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर महिला–पुरूष अंतराल को कम करना है।

समग्र शिक्षा के अधीन 31.03.2019 तक स्वीकृत 5970 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में से 4841 विद्यालय चल रहे हैं, जिनमें 5.60 लाख बालिकाओं को दाखिल किया गया है। 121 अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) और 88 मुस्लिम बहुल जिलों (विशेष फोकस

जिले ) में 1670 केजीबीवी स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 1177 चल रहे हैं और इनमें 16.26% से 27.71% के बीच मुस्लिम बालिकाओं को दाखिला दिया गया है।

(ख) और (ग): यह मंत्रालय विशेष रूप से अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए दो योजनाएं कार्यान्वित करता है, यथा केंद्रीय रूप से अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसियों की मेधावी बालिकाओं के लिए **बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति** [मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ)के माध्यम से] तथा उन महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए **''नई रोशनी''** जो सामान्य हैंडहोल्डिंग के अलावा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किसी अल्प अवधि प्रशिक्षण के अधीन प्रशिक्षित किए जाने की इच्छुक हैं और जिन्हें आगे प्रशिक्षित किया जा सकता हो ताकि उन्हें उपयुक्त वैतनिक रोजगार या स्व–रोजगार/सूक्ष्म उद्यमों के जरिए सतत आर्थिक आजीविका के अवसर प्राप्त हो सकें।

सरकार केंद्रीय रूप से अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए विभिन्न अन्य योजनाएं भी कार्यान्वित कर रही है जहां अलग–अलग लाभार्थियों के मामले में 30–33% सीटें अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए निर्धारित की जाती हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

(1) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना
(2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
(3) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना
(4) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
(5) निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना
(6) 'पढ़ो परदेश'– विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज इमदाद योजना
(7) संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और राज्य लोक सेवा आयोगों (पीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को सहायता (नई उड़ान)
(8) जियो पारसी
(9) सीखो और कमाओ–रोजगार उन्मुखी कौशल विकास पहलें
(10) नई मंजिल– स्कूल ड्रॉपआउट की औपचारिक स्कूल शिक्षा एवं कौशलीकरण हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना
(11) उस्ताद (विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन) हुनर हाट के आयोजन द्वारा अवसर और बाजार मुहैया कराने के लिए पारंपरिक मास्टर कारीगर और शिल्पकारों के लिए एक मंच उपलब्ध करवाना।
(12) हमारी धरोहर–भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारतीय अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना।
(13) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)–बुनियादी अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों, अल्पसंख्यक बहुल नगरों तथा निकटवर्ती ग्राम समूहों में कार्यान्वित।
(14) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) स्व–रोजगार एवं आय सृजन उद्यमों हेतु रियायती ऋण प्रदान करता है।

इसके अलावा, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में, जो एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, सहभागी मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं/पहलों को कवर किया गया है और यह देश भर में कार्यान्वित किया जाता है। कार्यक्रम में शामिल सभी योजनाएं/पहलें सहभागी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए या तो अनन्य रूप से या समग्र वास्तविक/वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए कार्यान्वित की जाती हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यमान एवं नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों एवं रोजगार में साम्यपूर्ण हिस्सा सुनिश्चित करते हुए, स्वरोजगार तथा राज्य एवं केंद्र सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता प्रदान करते हुए अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के साथ–साथ सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान 2,97,000 महिलाएं नई रोशनी योजना से लाभान्वित हुई हैं। बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (एमएईएफ) के अधीन आज तक 5,89,838 छात्राएं लाभान्वित हुई हैं।

(घ) और (ङ): जी हां, सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय रूप से अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों नामतः जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम और ईसाई समुदायों के छात्रों को 3.18 करोड़ छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। इनमें से छात्राएं लाभार्थियों के 50% से अधिक हैं। अगले पांच वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही तीन छात्रवृत्ति योजनाओं नामतः मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं को केंद्रीय रूप से अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों में इन्हें लोकप्रिय बनाते हुए और इस समय बालिकाओं के लिए 30% के बजाए 50% छात्रवृत्तियां निर्धारित करते हुए लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। छात्रवृत्तियों का नवीकरण बढ़ाने और विशेष रूप से मैट्रिक–पूर्व तथा मैट्रिकोत्तर योजनाओं के अधीन ड्रॉपआउट दरों को कम करने के लिए आगे और उपाय किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं के अधीन पंजीकृत होने के बाद छात्र स्कूली शिक्षा या अपनी पसंद के व्यवसाय में प्रशिक्षण पूरा करें।

******